न्यायालयः अपर सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–24, जनपद आजमगढ़।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 352/2026

शिवंक राय बनाम गुलशन आदि।

अन्तर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S.

थाना–गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

दिनांकः–10.03.2026

01. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी को सुना गया।

02. प्रार्थी शिवंक राय पुत्र मनोकामना विमल राय, साकिन सिरवां, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 173(4) B.N.S.S. में संक्षेप में कथन किया गया है कि " घटना दिनांक 22.01.2026 को लमय लगभग 08.00 बजे प्रार्थी अपने घर से गौशाला जा रहा था। प्रार्थी जैसे की गौशाला पहुंचा तो पहले से ही गौशाला के पास में मौजूद गुलशन पुत्र मिश्री व दो अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात मारने के इरादे से आये और प्रार्थी को भद्दी भद्दी गाली देने लगे, मना करने पर गुलशन अपने हाथ में लिये हॉकी से प्रार्थी को मारने लगा। सभी लोग लात घूंसा व हॉकी से मारे जिससे प्रार्थी को काफी चोटे आईं। सभी लोग प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।"

03. आवेदक की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक को भेजे प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.01.2026 की छायाप्रति व मेडिकल प्रपत्रों की छायाप्रति दाखिल की गई है।

04. उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गई। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

05. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण विपक्षी गुलशन व दो अन्य व्यक्ति (अज्ञात) द्वारा आवेदक को लात मुक्का व हॉकी से मारे पीटे जाने, गाली गुप्ता दिये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने से सम्बन्धित है। आवेदक को समस्त तथ्यों की जानकारी है। ऐसा मामला नहीं दिखाई दे रहा है जिससे पुलिस से विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। घटना के सभी तथ्य आवेदक के संज्ञान में हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए०सी०पी०, 739** में यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट, धारा 156(3) दं०प्र०स० में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग वाद पंजीकृत किये जाने तथा विवेचना किये जाने हेतु

आदेश करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो।

06. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के आलोक में एवं सम्बन्धित थाने की आख्या व आवेदक के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अन्तर्वस्तु के अवलोकन से कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता है, जिसके सम्बन्ध में साक्ष्य संग्रह कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया जाये। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S. परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक शिवंक राय पुत्र मनोकामना विमल राय की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) B.N.S.S. को परिवाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 B.N.S.S. दिनांक–15.04.2026 को पेश।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं०–24, आजमगढ़।